संख्या- 499 /33-3-2025-33-3099/63/2025

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 22 मई**, 2025

विषयः- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में "पंचायत उत्सव भवन" का निर्माण कराए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, जिसकी लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कोई स्थल उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में **पंचायत उत्सव भवन** निर्मित कराये जाने की मांग विभिन्न माध्यमों से पंचायती राज विभाग को प्राप्त होती रहती है, किन्तु पंचायती राज विभाग के सीमित संसाधनों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में **पंचायत उत्सव भवन** निर्मित नहीं हो पा रहे हैं।

2- प्रदेश के ग्रामीण आबादी को उचित दर पर मांगलिक कार्यक्रम यथा विवाह, मुण्डन एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाली प्रत्येक विधान सभा में एक **पंचायत उत्सव भवन** का निर्माण कराया जायेगा। इस **पंचायत उत्सव भवन** के स्थापित होने से ग्रामीण आबादी को वैवाहिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु सुलभ एवं सस्ती दरों पर स्थान उपलब्ध हो पायेगा। यह योजना ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित एवं संचालित की जायेगी।

3- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा में बारात एवं अन्य मांगलिक आयोजन हेतु **पंचायत उत्सव भवन** का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू0 100.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश की 71 ग्रामीण विधान सभाओं में एक **पंचायत उत्सव भवन** का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक **पंचायत उत्सव भवन** की अनुमानित लागत रू 1.41 करोड़ आकलित की गयी है। **पंचायत उत्सव भवन** के निर्माण हेतु स्थल का चयन एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः-

1- जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3- जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
4- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
5- अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०	सदस्य
6- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत	सदस्य

Amit Srivastava

7- जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य/सचिव

4- **पंचायत उत्सव भवन** के निर्माण की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 से क्रियान्वित किया जाना है। योजना के उचित अनुश्रवण के दृष्टिगत आवंटित धनराशि का व्यय पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा जिस हेतु पंचायती राज निदेशालय स्तर पर एक एस0एन0ए0 खाता किसी राष्ट्रीकृत अथवा scheduled commercial bank में खोला जायेगा। पंचायती राज निदेशालय स्तर से जनपद को लिमिट आवंटित की जायेगी तत्पश्चात् जनपद द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों को लिमिट के माध्यम से धनराशि आवंटित की जायेगी।

5- **पंचायत उत्सव भवन** हेतु विधानसभा तथा ग्राम पंचायत का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। जिन ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत (ओ.एस.आर.-own source revenue)/सेवाओं की उपलब्धता अधिक की जा रही है तथा जिन ग्राम पंचायतों में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अन्नपूर्णा भवन का संचालन किया जा रहा है, उन ग्राम पंचायतों को **पंचायत उत्सव भवन** में प्राथमिकता दी जायेगी। **पंचायत उत्सव भवन** हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे स्थल का चयन किया जाय जो All Weather Surfaced Road (Bituminous/CC/Interlocking) से जुड़ा हुआ हो जिसमें बस एवं छोटे वाहनों का आसानी से आवागमन हो तथा **पंचायत उत्सव भवन** का अधिक से अधिक आबादी लाभ उठा सकें एवं यथासम्भव आबादी के समीप हो। ऐसी विधानसभा जिसमें पूर्व से किसी शासकीय योजना से **पंचायत उत्सव भवन** निर्मित है अथवा निर्माण हेतु प्रस्तावित है वहाँ पर योजना के अंतर्गत **पंचायत उत्सव भवन** का निर्माण नहीं किया जायेगा।

6- ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि पर अथवा जिला पंचायत के स्वामित्व की भूमि पर उपयोगिता अनुसार **पंचायत उत्सव भवन** का निर्माण कराया जायेगा। **पंचायत उत्सव भवन** के निर्माण हेतु भूमि दान में भी ली जा सकती है। दान की जाने वाली भूमि की रजिस्ट्री राज्य सरकार के नाम की जायेगी जिसे जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को **पंचायत उत्सव भवन** निर्माण हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य शासकीय विभागों की निष्प्रयोज्य भूमि भी उनकी विभागीय अनुमति के उपरान्त **पंचायत उत्सव भवन** हेतु ली जा सकेगी।

7- **पंचायत उत्सव भवन** हेतु न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी। जिसमें **पंचायत उत्सव भवन** निर्माण क्षेत्र (Buildup Area) 522 वर्ग मी0 होगा। **पंचायत उत्सव भवन** में एक हॉल स्टेज/मण्डप सहित (100 लोगों की क्षमता का), 03 कमरे जिसमें एक दिव्यांगजन हितैषी कमरा भूतल पर शौचालय सहित, पुरूष /महिला /दिव्यांग शौचालय, रसोई घर इत्यादि का निर्माण किया जायेगा। **पंचायत उत्सव भवन** हेतु मानक प्लान जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा तैयार किया गया है जिसे लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित किया गया है। मानक प्लान के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा भूमि की उपलब्धता के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी विशिष्टियों के अनुरूप विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर निर्मित कराया जायेगा। **पंचायत उत्सव भवन** निर्माण हेतु डी0पी0आर0/ इस्टीमेट कन्सलटिंग इंजीनियर द्वारा अभियन्ता, जिला पंचायत की

Amit Srivastava

देखरेख में तैयार कर जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। **पंचायत उत्सव भवन** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।

8- पंचायत उत्सव भवन से संबंधित समस्त कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत के माध्यम से अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा किया जायेगा।

9- पंचायत उत्सव भवन हेतु निविदा आमंत्रित, खोलने एवं निविदा मूल्यांकन हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर एक निविदा समिति का गठन किया जायेगा। निविदा डालने हेतु एक टेण्डर बाक्स ग्राम पंचायत में तथा एक टेण्डर बाक्स जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में रखा जायेगा। दोनों टेण्डर बाक्स एक साथ निविदा समिति के समक्ष खोले जायेंगे।

10- प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त चयनित निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त योजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि की लिमिट निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा निर्गत की जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि का 70 प्रतिशत व्यय होने पर द्वितीय किश्त हेतु संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अभियन्ता, जिला पंचायत से भौतिक कार्य एवं गुणवत्ता की आख्या लेने के उपरान्त निदेशालय को मांगपत्र उपलब्ध कराया जायेगा, तदोपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में शेष 40 प्रतिशत की धनराशि की लिमिट निर्गत की जायेगी। अवशेष 10 प्रतिशत की तृतीय किश्त का मांग पत्र गठित समिति के माध्यम से भौतिक कार्य पूर्ण होने व संतोषजनक गुणवत्ता के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

11- उक्त योजना का क्रियान्वयन एवं धनराशि का व्यय ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जायेगा। संबंधित संस्था को धनराशि भुगतान से पूर्व अभियन्ता, जिला पंचायत से भौतिक रूप से कम से कम तीन स्तरों यथा प्लिन्थ, छत एवं पूर्ण होने पर निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के समय जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी(पं0), संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव उपस्थित रहेंगे। निरीक्षण के समय की फोटोग्राफ एवं वीडियों जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा। भवन निर्माण के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाय।

12- पंचायत उत्सव भवन का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निविदादाता से अनुबंध किया जाएगा। **पंचायत उत्सव भवन** का संचालनरखरखाव एवं आवंटन का कार्य अनुबंधित निविदादाता द्वारा ही किया जाएगा। निविदा से प्राप्त धनराशि का वितरण ग्राम पंचायत व संबंधित जिला पंचायत के मध्य 90:10 के अनुपात में किया जाएगा। जिला पंचायत द्वारा निविदा प्रकाशन एवं ओ0 एण्ड एम0 हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

Amit Srivastava

13- उपरोक्त कार्य हेतु अनुबंध अधिकतम 05 वर्ष के लिए मान्य होगा, तत्पश्चात् पुनः निविदा प्रक्रिया अपनाकर अनुबंध किया जाना होगा। भवन का रखरखाव, मरम्मत, जल शुल्क, विद्युत का व्यय भार वहन करने तथा संचालन इत्यादि अनुबंध अवधि में संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाएगा, जो अनुबंध की शर्तों में सम्मिलित किया जाएगा। निविदा हेतु शेष शर्ते, संचालन की मानक प्रक्रिया एवं **पंचायत उत्सव भवन** के आवंटन की दरों आदि पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उपरोक्तानुसार चयनित निविदादाता द्वारा अनुबन्ध से पूर्व ही प्रथम वर्ष की धनरशि एकमुश्त ग्राम पंचायत से ओ0एस0आर0 खाते में जमा की जायेगी तथा इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष अनुबन्ध दिनांक के पूर्व ही धनराशि ग्राम पंचायत से ओ0एस0आर0 खाते जमा की जायेगी। किसी विवाद की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा।

14- योजना के संचालन में आने वाले व्यय-भार को योजनान्तर्गत प्राविधानित बजटीय सीमा में ही रखा जायेगा तथा योजना के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15- ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराए जाने हेतु यदि प्राधिकरण/नजूल/इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की निहित निष्प्रयोज्य भूमि को लिया जाता है, तो उसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित कराए जाने वाले पंचायत उत्सव भवन का निर्माण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानानुसार कराया जायेगा।

16- उ0प्र0 मातृभमि योजनान्तर्गत यदि कोई दानदाता अपनी ग्राम पंचायत में **पंचायत उत्सव भवन** बनवाना चाहता है तो शासनादेश संख्या-57/2021/2177/33-3- 2021 -1713/2021 दिनांक 12.11.2021 के प्रस्तर-7 में विहित व्यवस्थानुसार **पंचायत उत्सव भवन** की कुल लागत रू 141.00 लाख का 60 प्रतिशत धनराशि दान देने पर 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा मातृभूमि योजना के माध्यम से दी जायेगी।

17- उक्तानुसार **पंचायत उत्सव भवन** के निर्माण के संबंध में जनपदों द्वारा स्थल चयन तथा अन्य समस्त कार्यवाहियों का विवरण प्रत्येक सप्ताह निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 को हार्ड कॉपी में अवश्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

18- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

Amit Srivastava

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/ न्याय / नियोजन / आवास एवं शहरी नियोजन/राजस्व एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अधीक्षण अभियन्ता, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
11. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उ0प्र0।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
13. गार्ड फाइल।

22/8/2018

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Amit Srivastava